

11
20/24

प्राची अधिवक्ता उपस्थितता अप्राची की
तलाठी हेतु राखण, तलवाना पेश हो।
या की संबंधित आभाषी पेशी तक
बनई जाती है। पत्रावली वाशते तलती
दिनांक 23/12/24 को पेश हो।

12
24

आज तक पत्रावली प्राची अधिवक्ता के
द्वारा प्राथमिक पत्र आदेश 23 नियम 109C
पेश करने पर पेशी में ली गई। प्राथमिक
पत्र में अजु किया कि प्राची ~~का~~ सभी
अप्राचीगण के विरुद्ध अपने वाद का परित्याग
करना चाहता है।

प्राची अधिवक्ता को सुना गया व
पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा
प्राची अधिवक्ता के द्वारा प्राथमिक पत्र 212
ATA नोटिस करने पर प्रकरण इसी स्तर
पर स्थायित्व किया जाकर प्रकरण में जारी
अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 16/10/2024 भी
गिरस्त की जाती है व इसी वाद विषयवस्तु
के संबंध में नया वाद संसिधत करने की
स्वतंत्रता दी जाती है। पत्रावली निगीत
होकर गम्बर से फर्म होकर वाखिल फुलर की।

M. K. B. S.
[Signature]



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर